

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2015/श्रावण 15, 1937

No. 492]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2015 /SHRAVANA 15, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 614(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 327(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 1 की पंक्ति 16 में “पैरा 2 के उप पैरा (क) में” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मद 1 में” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-12011/1/2013-आईआर(पीएल)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th August, 2015

G.S.R. 614(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 327(E), dated the 29th April, 2015 (pages 1 to 4), in page 3, in line 19, for “in paragraph 2, in sub-paragraph (a),” substitute “in item 1”.

[F. No. S-12011/1/2013-IR(PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.